

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com
फ़ॉकस- 05944-242400

पत्रांक:- 1039

/साठनी0अनु०/निरस०/2023-24

P.B

दिनांक- 24-7-23

"आति अल्पकालीन निविदा सूचना"

नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2023-24 में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा वार्ड नं. 15 पहाड़गंज में स्थित ट्रिचिंग ग्राउण्ड में लोहे की जाली युक्त ब्यू कटर संरचना का निर्माण कार्य हेतु दिनांक 02.08.2023 को अपराह्न 01:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमत्रित की जाती हैं, जिन्हें तददिनांक 02.08.2023 को ही अपराह्न 03:00 बजे से निविदा समिति या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय निर्माण अनुभाग से दिनांक 25.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक (राजकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालय कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय कर सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। निविदा की समस्त जानकारी एवं शर्तें नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से तथा विरतृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(विशाल मिश्र)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)
महापौर,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक-

/साठनी0अनु०/निरस०/2023-24

दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चर्चा किये जाने हेतु।

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
- श्री तपन कुमार राय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निविदा सूचना को नगर निगम की वेबवाइट के माध्यम से प्रवार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र आमर उत्ताला / कमिउनिकेशन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट/देते हुए समाचार पत्र दिनांक 25-07-2023 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्र० अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

कार्य का विवरण एवं निविदा शर्ते

क्र० सं	कार्य का नाम	आंगनबद्धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि ₹०	निविदा मूल्य + जी०एस०टी०		
				मूल्य	जी०एस०टी०	कुल
०१.	यार्ड नं० १५ पहाड़गंज में स्थित ट्रिभिग ग्राउण्ड में लोहे की जाली युक्त ब्यू कटर संरचना का निर्माण कार्य।	12.16	24320	1500	270	1770

१. निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर में सिविल निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा एवं निविदा प्रपत्रों के साथ उक्त ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की रव सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
२. निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायगा।
३. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
४. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर में निहित है।
५. निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से राजकीय अवकाश छोड़कर किसी भी कार्य दिवसों में (निविदा सूचना में अकित समयानुसार) निर्धारित निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं।
६. निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई तिथियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
७. निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत दी गई निविदा ही मान्य होगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर उक्त के साथ संलग्न धरोहर धनराशि निगम पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
८. निविदा लिफाफे के क्षेत्र स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम अकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
९. निविदा की दरे शब्दों व अंकों दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा दरें दशमलव बिन्दु के दो अंकों/स्थान तक ही मान्य होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
१०. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष ०२ प्रतिशत धरोहर धनराशि एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, प्रत्येक कार्य की अलग-अलग मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
११. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु १००.०० का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
१२. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-९ के clause सी ३ के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अनिम सिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
१३. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की ०२ प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल-२) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
१४. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का ०५ प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्सगारंटी और ०५ प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिमूर्ति निष्केप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारंटी प्रतिमूर्ति निष्केप में परिवर्तित कर सकता है दशर्तों की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
१५. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त ०१ सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
१६. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल जाँच कराना आवश्यक होगा तथा सैम्पल की जाँच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
१७. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता की उपस्थिति में प्रारम्भ करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमिया दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
१८. यदि कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रुकावट (अतिक्रमण आदि) की गमरस्या उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह लिखित में नगर निगम में उसकी सूचना दें। इसी प्रकार कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।
१९. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाइल्स व पुरानी ईट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अनिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
२०. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा तथा गड्ढो आदि के भरेगा।

21. सम्पादित कार्य के बिलों के मुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेगी तथा जी.एस.टी. विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।
 22. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होंगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के मुगतान बिल से कर ली जायेगी।
 23. ठेकेदार कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए ₹ 10 लाख तक सविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रतिसंसाह तथा अन्य समस्त निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिए सविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति साताह, परन्तु अधिकतम सविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/मुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 24. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
 25. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति विशेष का उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वाविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
 26. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर ले तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
 27. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती मुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होंगी।
 28. धनराशि के अभाव मे ठेकेदार को बिल मुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का व्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
 29. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 दर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिव्योरिटी डिपोजिट की धनराशि यापिस लौटा दी जायेगी।
 30. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टैंसिंग के साथ-साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 31. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊर्धमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- नोट— समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरश: अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा नरस्त की जायेगी।

(गणेन्द्र पाल)
प्र० अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊर्धमसिंह नगर।

(विशाल मिश्र)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊर्धमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊर्धमसिंह नगर।